

(9)



D/निग/सिंज./बूरग/18/1619

प्रकरण क्रमांक:- /2018

माण्डवी पाठक पिता हरिगोविन्द पाठक साकिम ढोंगा पेशा शिक्षित बेरोजगार
तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र) —————आवेदिक/निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली ————— अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन आदेश विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा श्रृंखला न्यायालय सीधी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 397/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 साथ ही आदेश विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्र. 8 अपील 16-17 आदेश दिनांक 11.12.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्र.91/अ-2/16-17 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व
संहिता 1959

मुद्रांक 21/3/18
प्रमाणित 16/3/18
Borpa
कलेक्टर सिंगरौली
सकल पाठक, म.प्र. देवसर

Borpa

न्यायालय मराठवाड़ा, न्यायिक
अधीन अति. Adw. Kanne
क्र. 7/12/18
Ka

Handwritten signature

Handwritten mark

2

15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/दो/निग/सिंगरौली/भूरा/2018/1643

भाह्यी बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

06-07-18

आवेदक के अधिवक्ता श्रीएस0के0वाजपेई उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री सिराज कुरेशी उपस्थित हुए उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दि0 09/01/18 में उल्लिखित किया है कि ललितपुर सिंगरौली न्यू रेल्वे लाईन में प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत प्रभावित भूमि के व्यपवर्तन कार्यवाही किया जाना औचित्यहीन है इसी तथ्य के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर प्रकरण कायमी के बिंदु पर ही समाप्त किया गया है प्रकरण की भूमि रेल्वे लाईन से संबंधित होकर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोगी है तथा आवेदक ने नोटिफिकेशन के उपरांत व्यपवर्तन चाहा है जो औचित्यहीन है

अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अग्रहण किया जाता है

[Signature]
सदस्य 6/7/18

[Signature]